भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.02.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 309 का उत्तर

यात्रियों को चिकित्सा सहायता

309. श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री सुब्रत पाठकः
श्री रवि किशनः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री मनोज तिवारीः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर किसी दुर्घटना/आपात स्थिति में यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है और देशभर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नियुक्त और तैनात चिकित्सा पेशेवरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे स्टेशनों पर खोले गए आपातकालीन चिकित्सा कक्षों (ईएमआरएस) की जोन-वार संख्या कितनी है और कितने दुर्घटना पीड़ितों ने इसकी स्थापना के बाद से ऐसे ईएमआरएस का लाभ उठाया;

(घ) अब तक इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): जी हां। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाईयां, उपकरणों,

ऑक्सीजन सिलिण्डर इत्यादि वाले मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं। फ्रंट लाइन कर्मचारी अर्थात गाड़ी टिकट परीक्षक, ट्रेन गार्ड/गाड़ी अधीक्षक, स्टेशन मास्टर इत्यादि प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नजदीक के अस्पताल और डॉक्टरों के संपर्क नं. सहित उनकी सूची सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। घायल, बीमार यात्रियों को अस्पताल/डॉक्टर के क्लिनिक तक ले जाने के लिए रेलवे, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एंबुलेंस सेवा प्रदाताओं की एंबुलेंस सेवाएं उपयोग में लायी जाती हैं।

बहरहाल, स्टेशनों पर जहां निजी पेशेवर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष (ईएमआर) स्थापित करने के इच्छुक होते हैं, ऐसे पेशेवरों को ठेका आधार पर ईएमआर स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। भारतीय रेल पर निजी पेशेवरों द्वारा कुल 41 ईएमआर (पश्चिम-10, दक्षिण-19, मध्य-05, दक्षिण पश्चिम-02, पश्चिम मध्य-02, दक्षिण मध्य-03) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, न तो किसी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति ने ऐसे ईएमआर सेवाओं का लाभ उठाया है और न ही किसी ईएमआर को स्थापित करने के लिए कोई निधियां आबंटित की गई हैं।

*****